हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर उसी जाति के व्यक्ति जिसके द्वारा उक्त आराजी करार के माध्यम से प्रतिफल के बदले ली गई है क्या अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? हमारे द्वारा प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2007 मार्च पृष्ठ 207 हेमराज बनाम राम खिलाडी का भी ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्से को विक्रय करने व भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पूरा रकबा ही नाम करने से सम्बन्धित है जो हमारे विनम्र मत में इस प्रकरण पर चस्ता नही होता है। इसी क्रम में अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014(2)पृष्ठ 1444 पूरनराम बनाम सम्पतराम अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस व्यक्त कथनों पर चस्पा होते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा पक्षकारान को नियमानुसार जवाबदेही व द्रस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न इकरारनामा की प्रति जो प्रमाणित नही है से स्पष्ट है कि इकसरनामा के आधार पर आराजी को विधिवत क्रय होना नही माना जा सकता, उक्त विक्रय या इकरारनामें को कानून कोई मान्यता प्रदान नही करता है। और उक्त इकरारनामें के आधार पर क्रय शुदा आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसार धारा 183 ख से कमजोर वर्ग को शीघ्र राहत हेतु प्रकिया को सरल संक्षिप्त और कठोर बनाया गया है, उक्तानुसार आवेदन प्राप्ति पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात सक्षिप्त (सरसरी) रूप में की जायेगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाब प्रा0पत्र प्राप्त किया जाना पटवारी से रिपार्ट लिया जाना साबित है, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रा0पत्र में अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा होना स्वंय स्वीकार किया गया है । उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में स्पष्ट किया गया है इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने अनुसुचित जाति अथवा अनुसुचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है,उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों ,बेदखली का दायी होगा। इस प्रकार तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर से बेदखली का जो आदेश दिया गया है उचित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट का उक्त आराजी पर अनधिकृत कब्जा साबित होने से अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांकः 20.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 19/अपील/20 तारीख दायरा 01.07.2020

उनवान अपील

मोहनलाल आ0 नाथूलाल जाति मेहर नि0 सेमली कल्याण तहसील पिड़ावा हाल निवासी रायपुर (अपीलान्ट)

बनाम

प्रभूलाल आ0 भैरूलाल मेहर नि0 सेमली कल्याण तहसील पिड़ावा (रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा प्रकरण संख्या 4/2019 किस्म मुकदमा 183 बी राज0काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 04.06.2020

उपस्थितः— श्री राम माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री पूरीलाल राठोर,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय :— दिनांकः 20.10.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 04.06.2020 जो मिसल न0 04/2019 पर पारित किया जाकर ग्राम सेमली कल्याण तहसील पिड़ावा की आराजी खाता संख्या 71 ख0न0 416 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से पूर्वी दिशा की 2 बीघा आराजी पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के तथ्य अंकित कर अपीलार्थी को पुलिस मदद से कब्जा दिलवाये जाने बाबत् अनुतोष चाहा जाने पर अपीलार्थी की और से जवाबदेही प्रस्तुत की गई की रेस्पो0 द्वारा कब्जेशुदा आराजी का विक्रय किये जाने का करार दिनांक 09.05.1996 को किये जाने व प्रतिफल के रूप में 45000/—रू रेस्पो0 द्वारा प्राप्त किये जाने से कब्जा अवैध नही था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो निर्णय गनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। रेस्पो0 उक्त खसरा न0 की भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी को अपीलार्थी को बैचान कर कब्जा संभलाने व रेस्पो0 की सहमति से उक्त आराजी पर काबिज था। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की और से अभिभाषक श्री पूरीलाल राठोर उपस्थित हुए ।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रह सार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 व अपीलान्ट के मध्य उक्त आराजी क्रय बाबत हुए करार की प्रति प्रस्तुत की गई थी, अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिफल देकर प्राप्त किया गया था। अपीलान्ट उक्त आराजी पर अतिक्रमी नही है। उभय पक्ष जाति से मेहर हैं जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। अपील स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2007 मार्च पृष्ठ 207 हेमराज बनाम राम खिलाडी के दृष्टान्त की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया गया कि काश्कारी अधिनियम के तहत आराजी पर जो व्यक्ति खातेदार है वही काबिज माना जावेगा,रेस्पो0 उक्त आराजी के खातेदार है व अपीलान्ट द्वारा अनधिकृत कब्जा (जिसको कानून मान्यता प्रदान नही करता) उनकी भूमि पर किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है अपीलान्ट द्वारा आराजी विधिवत क्रय नही की गई है उक्त विक्रय को कानून मान्यता नही देता है, अपीलान्ट उक्त आराजी अगर विधिअनुरूप क्रय की गई है तो सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2014(2)पृष्ठ 1444 पूरनराम बनाम सम्पतराम के दृष्टान्त की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़